

संपादकीय

खेतों से उठता धुआं

पंजाब और हरियाणा के खेतों से निकला धुआं उत्तर भारत के आसमान पर छाने लगा है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी पत्थरीआर की पहले से ही काफी प्रदूषित हवा में कुछ और तोड़खान बोल दिया है। वैसे यह हर साल ही होता है। अक्टूबर के महीने में जब खरीफ की फसल कट जाती है, तो खेतों में बंद गा फसल के बाकी हिस्से को किसान जला डालते हैं। कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें रबी की फसल के लिए खेत तैयार करना होता है, इसलिए मैदान साफ करने का सबसे आसान तरीका होता है खेतों में बची पराली को जला देना। इसके कुछ छोटे-मोटे फायदे और भी होते हैं। और कुल मिलाकर इन्हीं सब के लिए हवा में जहर घोलने का काम बरसों-बरस से चल रहा है। पिछले कुछ साल से इस पर सख्ती बरती जानी शुरू हुई है। राजधानी हॉट अधिकरण ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने पर जुमाने का प्रावधान भी किया है। इस सबसे उम्मीद बनी थी कि इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम होंगी। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटनाएं 45 फीसदी तक बढ़ गई हैं। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के रिपोर्ट सेंसिंग केंद्र के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल 11 अक्टूबर तक पराली जलाने की 435 घटनाएं हुई थीं, इस साल इस समय तक ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़कर 630 हो गई है। हरियाणा से ऐसे आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन आशंका यही है कि वहां भी ऐसी घटनाएं बढ़ी ही हैं। हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रशासन के लिए वह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, शायद इसलिए भी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की बड़े पैमाने पर कोशिश शुरू नहीं हुई है। हर साल जब पराली का धुआं राजधानी और इसके आस-पास के इलाकों पर छाता है, तो हम किसानों को कठपट्टे में खड़ा करना शुरू कर देते हैं। साथ ही, उन्हें यह सबक भी दिया जाता है कि पराली को जलाने की बजाय उसके इस्तेमाल के और कई अच्छे विकल्प हैं। बेशक विकल्प हैं, पर सच यही है कि उन्हें अभी न तो किसानों तक पहुंचाया जा सका है और न ही किसानों को आश्वस्त किया जा सका है कि ऐसे विकल्प उनके लिए आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इस मामले में पाबंदी और जुमाने के साथ ही तकनीक सफाई की जरूरत है, जो कहीं नहीं दिखती। वैसे पराली जलाने की समस्या भारत की ही नहीं, दुनिया के कई देशों की है। चीन में तो यह समस्या है ही, अमेरिका और फ्रांस तक इससे परेशान रहे हैं। दुनिया भर का जिक्र इसलिए जरूरी है कि समस्या का एक कारण फसल कटाई की आधुनिक तकनीक भी है, जिससे पौधों का एक बड़ा हिस्सा खेतों में लगा रह जाता है। कई देशों की किसानों ने वैकल्पिक तरीकों को भी अपनाया है। जाहिर है, ऐसे तरीके किसान तभी अपनाते हैं, जब उसमें उन्हें कोई फायदा दिखे। ऐसे देशों की सीख भी काम की हो सकती है। हमारे देश में खेती जिस तरह से घाटे का सौदा बनी है, उसमें यह उम्मीद रखना है कि किसान खेतों को पराली मुक्त करने के लिए अतिरिक्त समय या संसाधन खर्च करेंगे। वैकल्पिक तरीकों को सीखने की उनकी क्षमता भी सीमित है। यह काम सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को ही करना होगा।



आज के ट्वीट स्थिति

पहले हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब होता था रिश्तखोरी और युवाओं से लूट। नौकरियों के लिए जितनी तरह के खेल होते थे, उन्होंने यहां के कई नेताओं को जेल तक पहुंचाया है। लेकिन ये स्थिति अब बदल चुकी है : पीएम मोदी

-बीजेपी

ज्ञान गंगा

ओगो/यह अरुणभक्ष है। अहंकार का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार केवल एक विचार है- उसमें कोई सार नहीं है। अहंकार एक तरह का असाध है। अहंकार इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लेते हो, कोई अहंकार नहीं पाओगे। तुम्हें वारां कला गंगा है- 'अपने अहंकार को मारो'- और यह वाक्य रसाक्त तौर पर बोलना है, क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज का त्याग करने से पहले उसकी गहरी पहिचान का पता कर लेना चाहिए पर अरुण भक्ष ही इसके विरोध में नहीं हुआ। यदि तुम इसका विरोध करते हो तो तुम इसके गहराई से नहीं देख सकते। अहंकार के दंगों को देखो, यह कैसे काम करता है, आखिर कैसे यह संचालित करता है। और तुम हेमन हो जाओगे, जितने गहरे तुम इनमें जाते हो यह उतना ही दिखाई नहीं पड़ता। 'अहंकार' वो है जिसे तुम प्रकटित करते हो; अहंकार तुम्हारी अवधि है। अहंकार का सम्पन्न होना अहंकार है, उसका सौखी बनना होता है। यही है 'रिस्पेक्ट' का अर्थ। इसका अर्थ वह नहीं है जो प्रचलन में है-

अहंकार

“अदर”। नहीं-रिस्पेक्ट का साधारण सा अर्थ है: “नी-स्पेक्ट”, फिर से देखना। यही है इसका शाब्दिक अर्थ; इसमें अदर जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। “स्पेक्ट” का अर्थ है देखना; “री” का अर्थ है दोबारा। यदि तुम री-स्पेक्ट करते हो, यदि तुम फिर से देखते हो और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हो, तो तुम एक जगह पाओगे जहां से तुमने स्वयं को खोना और अहंकार को अर्जित करना आरंभ किया था। वो पल रोशनी का एक पल होता है, क्योंकि एक यह यदि तुमने देख लिया कि अहंकार क्या है, तब खेल समाप्त हो जाता है। तो तुम यह नहीं कह सकते कि अहंकार को गिरा दो क्योंकि उसका तो अर्थ हुआ कि मैंने तुम्हारे अहंकार की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। और तुम उसे गिरा कैसे करते हो-जब कि तुम ही वह हो। उस क्षण में तुम ही अहंकार हो। स्वयं को तो तुमने कहीं पीछे अदर में छोड़ दिया है। यह समझने योग्य एक बहुत ही आधुनिक बात है-अहंकार अपने शिखर पर आ जा, वह मजबूत हो जाए, और एक अखंड अस्तित्व बन ले-केवल तभी तुम उसे पिछला सकोगे। एक दुर्बल अहंकार को पिछला नहीं जा सकता। और यह एक समस्या बन जाता है।



प्राथमिकी दूसरे राज्य में भेजे जाने पर सवाल



उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र/अनुप भटनागर

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का कानून बनने के छह साल बाद अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रोकथाम मामला आया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ अधिकार स्तर से यौन उत्पीड़न की शिकायत को आधार पर दर्ज प्राथमिकी जांच के लिये दूसरे राज्य को भेज दी। सवाल उठता है कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के तहत शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी उच्च न्यायालय किसी

लिये व्यापक निर्देश दिये थे और कहा था कि इन पर अंशुक के लिये नया कानून बनने तक ये निर्देश प्रभावी रहेंगे। शीर्ष अदालत ने अगस्त 1997 में इस प्रकरण में अपने फैसले में कहा था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन अधिकारों में सम्पत्ता अधिकार, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने महिलाओं के संरक्षण के लिये विशेष समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था ताकि ऐसी शिकायत का निदान किया जा सके। नेहरू में पुलिस अधीक्षक स्तर की इस महिला अधिकारी की शिकायत पर तत्काल दर्ज कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत जांच के लिये आंतरिक समिति गठित की गयी थी। महिला अधिकारी का आरोप था कि आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी एक साल से उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इस शिकायत में न्याय योग्य आरोपों की जांच के लिये पुलिस विभाग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमा अग्रवाल की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति गठित की थी। इस जांच समिति ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे तमिलनाडु की सीबी-सीआईडी को तमिलनाडु जंज कर्क जांच के लिये भेज दिया था। उसमें डीपी आंधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। महिला अधिकारी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जांच समिति पुनर्गठित

करने और आईपीएस अधिकारी का तबादला करके का अनुरोध किया था। इसी बीच, महिला अधिकारी की शिकायत पर तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा से इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला अधिकारी जांच की कार्यवाही और प्राथमिकी को केरल या किसी अन्य पड़ोसी राज्य या दिल्ली स्थानांतरित करने पर सहमत हो गयी थी लेकिन आईपीएस अधिकारी का तर्क था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत के तहत कार्यवाही को स्थानांतरित करने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। राज्य सरकार भी इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने इस मामले की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे तमिलनाडु से तेलंगाना स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया। इस मामले में विवाद का केन्द्र बने इस आईपीएस अधिकारी का जून महीने में तबादला कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को इसके सारे मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिये तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के न्याय के हित में आदेश देने के व्यापक अधिकार प्राण हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय राज्य के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ अदालतों में लॉक जॉब्स मामले या अमीय को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच तथा सुनवाई के लिये मुकदमे या प्रकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित कर सकता है। शीर्ष अदालत अगले सप्ताह इस प्रकरण पर विचार कर सकती है।

आज का राशिफल

मेघ	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। भूत, पद, प्रसिद्धि के लोभ होंगे। शासन सत्ता का असाधन मिलेगा। रुपए पैसे के वृद्धि-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ावें।
वृषभ	पारिवारिक व व्यावसायिक समस्याएं रहेंगी। उदर विकार या लवचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रहें। जीवन साथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। बहाने प्रयोग में सावधानी रखें।
मिथुन	सामाजिक प्रतिष्ठान में बुद्धि होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा देस्टाइन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे।
कर्क	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में असाधन सफलता मिलेगी। जारी प्रयास सफल होंगे। वाणी की सौख्या बनाने रखें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। बहाने प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
सिंह	प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पिता या उच्चपतिवर्तियों की शिकायत पर तमिलनाडु पुलिस की जांच के लिये तेलंगाना स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया। इस मामले में विवाद का केन्द्र बने इस आईपीएस अधिकारी का जून महीने में तबादला कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को इसके सारे मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिये तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के न्याय के हित में आदेश देने के व्यापक अधिकार प्राण हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय राज्य के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ अदालतों में लॉक जॉब्स मामले या अमीय को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच तथा सुनवाई के लिये मुकदमे या प्रकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित कर सकता है। शीर्ष अदालत अगले सप्ताह इस प्रकरण पर विचार कर सकती है।
कन्या	जीवन साथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। भूत, पद, प्रसिद्धि में बुद्धि मिलेगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी या खोने का आशंका है। व्यर्थ की भावनाएं अपेक्षित हैं।
तुला	राजनैतिक महालाकांक्षा की पूर्ति होगी। उच्चाह व सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान के दायित्व को पूर्ति होंगे। व्यावसायिक योजना सफल होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। बहाने प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
वृश्चिक	आर्थिक भ्रम सबक लेंगे। उदर विकार या लवचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय का न्यून होना बर्तने। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा देस्टाइन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। विधवाएं संतान पावें।
धनु	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। यात्रा प्रयास सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में असाधन सफलता मिलेगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में बुद्धि होगी।
मकर	व्यावसायिक दिशा में फिर एक प्रयास सफल होगा। अनावश्यक कार्यों का सामना करना पड़ेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भावनाएं अपेक्षित हैं।
कुम्भ	व्यावसायिक दिशा में फिर एक प्रयास सफल होगा। अनावश्यक कार्यों का सामना करना पड़ेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भावनाएं अपेक्षित हैं।
मीन	व्यावसायिक दिशा में फिर एक प्रयास सफल होगा। अनावश्यक कार्यों का सामना करना पड़ेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भावनाएं अपेक्षित हैं।

विकास के साथ जीवन की गुणवत्ता भी जरूरी



भरत डुनडुनवाला

बीते बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्पणियों द्वारा आयात किये जाने वाले आयाकर, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, को लगभग 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 43 प्रतिशत कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमीरों का दायित्व बनता है कि देश की जरूरतों में अधिक योगदान करें। बीते माह उन्होंने अपने कदम को पूरी तरह वापस ले लिया और कर्पणियों द्वारा आया किये जाने वाले आयाकर को घटाकर लगभग 33 प्रतिशत कर दिया है। इस उलटफेर से स्पष्ट होता है कि आयाकर की दर का आर्थिक विकास पर प्रभाव असंजम है। यदि आयाकर बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी। यदि राजस्व का उपयोग पंचतू मास की खरीद से निवेश करने के लिए किया गया, जैसे देश में बने सीमेंट और बजरी से गांव की सड़क बनायी गयी तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। इसके विपरीत यदि उनी राजस्व का उपयोग राफेल फाइटर प्लेन खरीदने के लिए अथवा सरकारी कर्मियों को ऊंचे वेतन देने के लिए किया गया तो प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। कारण यह कि राफेल फाइटर प्लेन खरीदने से देश की आय विदेश चली जाती है। जैसे गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए। लेकिन इसके पीछे जो आर्थिक गणित है वह यह है कि यदि सरकारी कर्मियों को ऊंचे वेतन दिए जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी माल जैसे पेट्रोल, जारेंट, डी बनी वॉल्वेलेट खरीदने में अथवा विश्व यात्रा में खर्च हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास की दर पुनः गिरती है। देश में मांग उठ रही है कि व्यक्तिगत आय पर आयाकर में भी कटौती की जाय। इसका भी प्रभाव सकारात्मक पड़ सकता है अथवा नकारात्मक। इतना नहीं है कि आयाकर घटाने से करदाता के हाथ में अधिक रकम बचेगी। जैसे करदाता पहले यदि 100 रुपये कमाता था और उसमें से 30 रुपये आयाकर देता था तो उसके हाथ में 70 रुपये बचते थे। यदि आयाकर की दर घटकर 25 प्रतिशत कर दी जाय तो करदाता के हाथ में अब 75 रुपये बचेंगे। वह पहले यदि 70 रुपये का निवेश कर सकता था तो अब 75 रुपये का निवेश कर सकेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बची हुई रकम का निवेश ही किया जायगा। उस रकम को वह देश से बाहर भी भेज सकता है। बताने वाले कि यदि देश में आयाकर की दर घटा दी जाय तो भी यह निवेश करने को पर्याप्त प्रेरित नहीं है क्योंकि अब धाबी जैसे सामान देश के जहां पर आयाकर की दर शून्यप्राय है। मंगोलत ग्लोबल एजुकेशन के टी. वी. मोहनसुम पाई के अनुसार देश से अमीर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। वे भारत की नागरिकता त्याग कर अपनी पत्नी समेत दूसरे देशों को जा रहे हैं और उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं। पाई के अनुसार इसका प्रमुख कारण टैक्स कर्मियों का आतंक है। उनके अनुसार आज करदाता महसूस करता है कि उसे टैक्स कर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मानना है कि वर्तमान सरकार कंप्यूटर तकनीक के उपयोग से आकांक्षवादी और टैक्स अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कम कर रही है जो कि सही दिशा में है लेकिन इसके बाद जांच होती है अथवा

अपील की प्रक्रिया होती है तो करदाता और टैक्स अधिकारियों का आमना-सामना होता ही है। मूल बात यह है कि वर्तमान सरकार टैक्स अधिकारियों को ईमानदार और करदाताओं को चोर की तरह देखती है। सरकार का यह प्रयास बिल्कुल सही है कि देश में तामा सड़की है जो देश के बैंकों की रकम को लूट कर जा रहे हैं दूसरा टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन एक चोर को कथं टैक्स के माध्यम से फकड़ना कठिन ही है। मनु स्मृति में कहा गया है कि 'राज के कर्मी मुखतः चोर और फरेबी होते हैं और वे जनता का धन लुचते हैं, राजा इनसे अपनी जनता की रक्षा करे। यानी मनु स्मृति के अनुसार सरकार के कर्मी मूलतः चोर होते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की दृष्टि में सरकार के कर्मी ईमानदार हैं और करदाता चोर हैं। अतः कंप्यूटर तकनीक से जो सुधार किया जा रहा है, उसके कर्मियों को मूल भाव बदलना नहीं दिखता है। परिणाम यह है कि टैक्स के आतंक के चलते देश से अमीरों का पलायन जारी है। अमीरों का पलायन का दूसरा प्रमुख कारण जीवन की गुणवत्ता बनाया जा रहा है। देश में वायु की गुणवत्ता गिरती जा रही है। मेरे एक मित्र दिल्ली में रहते थे। उनकी पत्नी का वजन बिना किसी कारण के 45 किलो से घटकर 25 किलो हो गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली को छोड़ कर देहरादून में आकर कर रहे हैं। वे भारत की नागरिकता त्याग कर अपनी पत्नी समेत दूसरे देशों को जा रहे हैं और उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं। पाई के अनुसार इसका प्रमुख कारण टैक्स कर्मियों का आतंक है। उनके अनुसार आज करदाता महसूस करता है कि उसे टैक्स कर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मानना है कि वर्तमान सरकार कंप्यूटर तकनीक के उपयोग से आकांक्षवादी और टैक्स अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कम कर रही है जो कि सही दिशा में है लेकिन इसके बाद जांच होती है अथवा

लागत कम होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन उसी छूट के कारण वायु की गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और देश के अमीर यहां से पलायन करेंगे और विकास दर घटेगी, जैसा हो रहा है। इसी प्रकार सरकार ने गंगा के ऊपर बड़े जहाज चलाने का निर्णय लिया है। सीधे तौर पर बड़े जहाज चलेंगे, दुलाई का खर्च कम होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन इन्हीं बड़े जहाजों से गंगा का पानी प्रदूषित होगा, गंगा का सौन्दर्य खंडित होगा और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आयेगी। अतः सरकार को किसी निर्णय को लेते समय जीवन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा और परिवरण को बाँध समझने के लिये पर परिवरण की रक्षा के बाँध समझने का भी मूल्यांकन करना होगा। तीसरा बिंदु सामाजिक है। अमीर व्यक्ति चाहता है कि उसे वैचारिक स्वतंत्रता मिले। वह अपनी बात कह सके। लेकिन बीते समय में देश में स्वतंत्र विचार को हतोत्साहित किया गया है। जो व्यक्ति सरकारी की विचारधारा से विपरीत सोचता है, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में दबाव डाला जा रहा है। इन तमाम कारणों से अमीरों को भारत में रहना पसंद नहीं आ रहा है बल्कि वह देश से पलायन कर रहे हैं। वित्तमंत्री द्वारा टैक्स कॉर्पोरेट कर्मियों द्वारा अथवा व्यक्तियों द्वारा जो आयाकर में कटौती की गयी है अथवा जो सीधे किए जाने की संभावना है, उससे देश के आर्थिक विकास को कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मूल समस्या सार्वभौमिक है। देश ने जो नक़्शेराही को ईमानदार, पारदर्शक की हानि को आर्थिक विकास का कारण और वैचारिक विभिन्नता को नुकसानदेह दृष्टि से देख रखा है, उसका सीधा परिणाम है कि देश के अमीर देश को छोड़कर जा रहे हैं और देश की आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ रही है।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

फैशन डिजाइनर के बंगले में चोरो का धावा

१ लाख कैश, तीन आईफोन समेत ३,७३ लाख की चोरी कर फरार

शहर के सिटीलाइट विस्तार में रहनेवाली एक महिला फैशन डिजाइनर के बंगले को रात्रि दरमियान अनजान चोरो ने निशाना बनाया. अंदर घुसे चोर १ लाख की कैश और तीन आईफोन तथा अन्य सामान समेत ३,७३ लाख का माल चुरकर भाग गए.



मिली जानकारी के मुताबिक सिटीलाइट स्थित संगम सोसाइटी बंगला नंबर-२१ निवासी हिना प्राग मोदी फैशन डिजाइनर हैं. गत रात्रि दरमियान अज्ञात चोरो ने उनके बंगले को निशाना बनाया. बंगले में घुसे चोर नगद १ लाख रूपये, तीन आईफोन, दो लेपटॉप और एक आईपैड सहित ३,७३ लाख का माल चुरकर भाग निकले. सिटीलाइट विस्तार में रहनेवाली एक महिला फैशन डिजाइनर के बंगले को रात्रि दरमियान अनजान चोरो ने निशाना बनाया. अंदर घुसे चोर १ लाख की कैश और तीन आईफोन तथा अन्य सामान समेत ३,७३ लाख का माल चुरकर भाग गए.

लखा रूपयों की चोरी की घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी दिए जाने पर उमर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर अनजान चोरो के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है.

विद्यार्थियों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अभिभावक समेत स्कूल पर भी होगी कार्रवाई सूत । पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही का फैसला किया है। रायपुर में बगैर लाइसेंस या हेल्मेट बगैर दू लीडर चलाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावक और स्कूलों को खामियाजा भुगतान होगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में खास अभियान चलाएगी और यदि स्कूल के बाहर वाहन मिलते हैं तो स्कूल पुलिस स्कूलों में खास अभियान की जाएगी। बगैर वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को जेल भी जाना पड़ सकता है। सूत पुलिस फिलहाल शहर में हेल्मेट और लाइसेंस बगैर वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को बार बार समझाए जाने के बावजूद विद्यार्थी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिसे देखते हुए सूत पुलिस ने अब विद्यार्थियों के साथ अभिभावक और स्कूल के खिलाफ कार्यवाही का फैसला कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्कूल के बाहर वाहन मिले तो उसे टो कर लिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी, स्कूल और अभिभावकों की होगी। ऐसी समस्या के समाधान के लिए दो दिन ट्रैफिक पुलिस स्कूल और अभिभावकों के साथ बैठ करोगी। नए कानून की जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों देने के बावजूद यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो बुधवार से ट्रैफिक पुलिस तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए बार बार समझाए जाने के बावजूद इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए सोनगढ़ स्टेशन पर भी होगा बांद्रा टर्मिनस-पालिताना के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का ठहराव



सूत यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन सं. 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस-पालिताना सुपरफास्ट विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ को सोनगढ़ स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया गया है।

दोपहर ३.२५ बजे प्रस्थान कर अगले दिन 05.30 बजे पालिताना पहुंचेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर, 2019 से 1 जनवरी, 2020 तक चलेगी। इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या. 09028 पालिताना-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ गुरुवार को पालिताना से 07.40 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 21.50 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 17 अक्टूबर, 2019 से 2 जनवरी, 2020 तक चलेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरिवली, वापी, सूत, भरुच, वडोदा, आणंद, अहमदाबाद, वीरमगाम, बोटाद, डोला जं., सोनगढ़ एवं सिहोर (गुजरात) स्टेशनों पर रूकेगी। पश्चिम रेलवे द्वारा अतिरिक्त ठहराव के लिए किये गये निर्णय से यात्रियों को राहत मिलेगी।

परीक्षा रह हो जाने के मुद्दे पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन कलक्टर को आवेदन पत्र देकर रह के निर्णय को वापस लेने की मांग की



सूत. बिन सचिवालय क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट को परीक्षा अचानक रह हो जाने से लाखों विद्यार्थी के सपनों पर पानी फिर गया है. परीक्षा रह करने के संस्कार के इस निर्णय का विद्यार्थी ने विरोध करते हुए कलक्टर को आवेदन पत्र देकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई है.

आगामी २० अक्टूबर को अचानक इस परीक्षा को रह करने देने का निर्णय लेने से लाखों विद्यार्थी चौंक गए हैं. परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थी को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देने लगे जिससे उनके समर्थन में आकर आम आदमी पार्टी द्वारा कलक्टर को आवेदन पत्र दिया गया और परीक्षा रह के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई है.

फायर विभाग की गिरी गाज

सिल्कसिटी मार्केट की ६०० दुकाने की गई सील



सूत. सिल्कसिटी मार्केट में सोमवार के दिन बांद्रा टर्मिनस आग लग गई थी. घटना की वजह से पुरे मार्केट में धुवा फ़ैल गया था और काफी अफ़रातफ़री मच गई थी. काफी मशक़क़ के बाद आग की घटना पर काबू पाया गया था लेकिन इस घटना के बाद मार्केट में फायर सेप्टी नहीं होने का खुलासा होने पर फायर विभाग ने ६०० दुकानों की सील कर दी है.

जानकारी के मुताबिक फायर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्यवाही करते हुए सिल्कसिटी मार्केट में ६०० दुकाने सील कर दी गई हैं. फायर के संख़्त रुख़ को देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. उपरोक्त सभी दुकानों में फायर सेप्टी नहीं होने के चलते सीलिंग की कार्यवाही को गई थी.



थी कि उसे काबू करने में फायर कारमियों को काफी मशक़क़त करनी पड़ी और ४ घंटे के बाद आग बुझाकर घटना पर काबू पाया गया. इस घटना के बाद ही यहाँ पर फायर सेप्टी नहीं होने का खुलासा हुआ था.

स्वास्थ्य मंत्री ने न्यू सिविल अस्पताल के अधिकारियों के साथ की बैठक

स्टेमसेल बिल्डिंग में तीन विभाग शिफ्ट करने के लिए निर्देश

सूत. स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल सोमवार को शहर के दौरे पर थे. इसके बाद वह शाम को उन्होंने नई सिविल अस्पताल में विधायक, सांसद और अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में उन्होंने अधूरे रह गए स्टेमसेल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर चर्चा की और उसी बिल्डिंग को उपयोग में लेने के हेतु से पुराने अस्पताल में स्थित मेडिसिन, गावनेक और पीडियाट्रिक विभाग को स्टेमसेल बिल्डिंग में शिफ्ट करने के निर्देश दिए.

रह गई है. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने मेडिकल कॉलेज में न्यू सिविल अस्पताल सुपरिटेण्डेंट, कॉलेज के डीन, अहमदाबाद से आये किडनी, हार्ट, और कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तथा शहर के सांसद और विधायकों के साथ बैठक की थी. बैठक में नितिन पटेल ने दस मंजिला स्टेमसेल बिल्डिंग में गावनेक, मेडिसिन और पीडियाट्रिक विभाग को शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दी है. इसलिए आगामी दिनों में यह तीनों विभाग स्टेमसेल पटेल ने अधिकारियों के साथ स्टेमसेल बिल्डिंग, लायंस



कैंसर डिटेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया. आगामी दिनों में नई बिल्डिंग में उपरोक्त तीनों विभागों के अलावा एक एक कर अन्य विभाग भी शिफ्ट किये जाएंगे.

बहन को मार देने की धमकी देकर विवाहिता से किया दुष्कर्म

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार



सूत. अडाजण क्षेत्र में आरोपी एक विवाहिता को जब्त करके उसे वहा से आरोपी आरती को अपने के मित्र के घर पर लेकर गया था. और वहा उसके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ी करने लगा था जिसका आरती विरोध करने लगी थी तब आरोपी ने उसे दो -तीन तमामे मार दिए थे जिससे आरती ने अपनी बहन विवाहित बहन अनिता (नाम बदला है) को फोन करके कहा कि मुकेश उसे मार रहा है तू

यहाँ पर आ जा. जिससे अनिता बहन को बचाने के लिए वहा पर पहुंची तब आरोपी मुकेश ने आरती को जान से मार देने की धमकी देकर अनिता को ही जब्त खींचकर कमरे में लेकर गया और उसके साथ जब्त करके दुष्कर्म किया. इस मामले में अनिता ने आरोपी मुकेश के खिलाफ अडाजण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई पुलिस ने बलाकार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है.